मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5125

03.04.2023 को उत्तर के लिए

जंगली जानवरों के हमले

5125. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:
श्री अजय निषाद:
कुंवर दानिश अली:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान जंगली जानवरों के हमले के कारण फसलों को हुए नुकसान के साथ-साथ मनुष्यों और पालतु पशुओं की मृत्यु के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने लोगों ने मनुष्यों और पालतू पशुओं की मृत्यु और फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जंगली जानवरों के हमले के कारण मनुष्यों और पालतू पशुओं की मृत्यु और फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत फसलों को नष्ट करने वाले परभक्षी पशुओं की श्रेणी में कौन-कौन से पशु सूचीबद्ध हैं; और

(ङ) वन्य जीवों की रक्षा करने और जंगली जानवरों द्वारा मानव जीवन और संपत्ति के साथ-साथ फसलों को होने वाले नुकसान को राकने/कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) वन्यजीवों की सुरक्षा व प्रबंधन और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। मनुष्यों, पालतू पशुओं की मौत और फसलों को हुए नुकसान तथा राज्यों द्वारा भुगतान की गई क्षति का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किया जाता है।

मंत्रालय, राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने और उनके प्रबंधन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - वन्यजीव पर्यावासों के विकास के तहत राज्यों को जंगली जानवरों के हमलों से हुई मौत या पहुंची चोट के लिए अनुग्रह राहत राशि के भुगतान को शामिल करते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा व प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए धनराशि प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के तहत भुगतान की गई अनुग्रह राहत राशि निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वन्यजीवों के हमलों से हुई क्षति का प्रकार	अनुग्रह राहत राशि
(क)	मानव मौत या स्थायी अक्षमता	5 लाख रूपए
(ख)	गंभीर चोट	2 लाख रूपए
(ग)	मामूली चोट	उपचार की लागत 25000/- रूपए तक
(घ)	संपत्ति/फसलों को हुआ नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन करेंगे।

(घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 किसी पशु को परभक्षी के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं करता है।

(ङ) सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा व प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं :

i. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत जंगली पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के लिए देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया।

ii. केंद्र सरकार वन्यजीव और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम-वन्यजीव पर्यावासों का विकास, 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iii. मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में एक परामर्शिका जारी की गई थी। यह परामर्शिका समन्वित अंतर विभागीय कार्रवाई, संघर्ष के प्रमुख स्थानों की पहचान करने, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने, त्वरित प्रतिक्रिया दल, अनुग्रह राहत राशि की मात्रा की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तर समितियों का गठन और प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत राशि का भुगतान करने की सिफारिश करती है।

iv. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए गए नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने और इनके प्रबंधन के संबंध में दिनांक 03 जून, 2022 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा निर्देश जारी किए।

v. मंत्रालय मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराता है।

****